रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032021-225981
CG-DL-E-18032021-225981

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1166]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2021/फाल्गुन 27, 1942
No. 1166]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2021/PHALGUNA 27, 1942

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2021

का.आ. 1258(अ).—जबकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के संबद्ध कार्यालय निदेशक मुद्रण, मुद्रण निदेशालय, नई दिल्ली को नियुक्ति प्राधिकारी घोषित किया गया है और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के अनुसार, मुद्रण निदेशालय में कतिपय समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों (मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में समूह 'ग' में उन्नत) के संबंध में उन्हें अनुशासनिक प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

और जबकि, निदेशक मुद्रण, मुद्रण निदेशालय का पद तत्कालीन पदधारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरा होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 15 फरवरी, 2021 को रिक्त हो गया था और अभी इसके कुछ और अधिक समय तक रिक्त रहने की संभावना है;

और जबकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में उपसचिव (पीएसपी) श्री जी. पी. सरकार, को निदेशक मुद्रण का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है;

और जबकि, निदेशक मुद्रण, मुद्रण निदेशालय के पद पर नियमित पदधारी की अनुपस्थिति में मुद्रण निदेशालय में कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु निदेशक मुद्रण द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अब तक किए जा रहे कार्यों के निष्पादन हेतु कोई व्यवस्था की जानी अत्यावश्यक है।

अत: अब, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2) और नियम 12 के उप-नियम (2) के अनुसरण में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में उप सचिव

(पी.एस.पी.) श्री जी. पी. सरकार, को मुद्रण निदेशालय में मुद्रण निदेशक के पद को नियमित रूप से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, मुद्रण निदेशालय में समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' (समूह 'ग' में मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में पदोन्नत) पदों के संबंध में मुद्रण निदेशक को प्रदत्त नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

[फा. सं. ए-12025/02/2014-पीएसपी-1-भाग(1)]

सी. वी. सारदा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2021

S.O. 1258(E).—Whereas, the Director of Printing, Directorate of Printing, New Delhi, an attached Office of Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, New Delhi has been declared as the appointing authority and has also been conferred with the powers of disciplinary authority and appellate authority in respect of certain Group 'B', Group 'C' and Group 'D' posts (upgraded to Group 'C' as Multi Tasking Staff) in the Directorate of Printing, in terms of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965;

And whereas, the post of Director of Printing, Directorate of Printing had fallen vacant on the 15th February, 2021, consequent upon the completion of deputation period of the then incumbent and is likely to be vacant for some time more;

And whereas, Shri G. P. Sarkar, Deputy Secretary (PSP), Ministry of Housing and Urban Affairs has been given additional charge of the Director of Printing;

And whereas, there is an urgent need to make an arrangement to provide for the performance of the functions of the appointing authority, disciplinary authority and appellate authority hitherto exercised by the Director of Printing for smooth functioning in the Directorate of Printing in the absence of a regular incumbent to the post of Director of Printing, Directorate of Printing.

Now, therefore, in pursuance of sub-rule (2) of Rule 9 and sub-rule (2) of Rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby authorizes Shri G.P. Sarkar, Deputy Secretary (PSP) in the Ministry of Housing and Urban Affairs to exercise powers of the appointing authority, disciplinary authority and appellate authority vested in the Director of Printing in respect of Group 'B', Group 'C' and Group 'D' posts (upgraded to Group 'C' as Multi Tasking Staff) in the Directorate of Printing till a regular appointment is made to the post of Director of Printing, in Directorate of Printing or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-12025/02/2014-PSP-I-Part(1)]

C. V. SARADA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.18 19:44:12 +05'30'